



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 05.07.2021

महिला थाना

महिला थाना पुलिस द्वारा तीन तलाक में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 05.07.2021 को महिला थाना पुलिस द्वारा तीन तलाक अभियोग में वांछित 01 आरिफ पुत्र सुबेदीन निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कोतवाली शामली

सोशल मीडिया पर शादी समारोह में अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो में 01 और अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद:-

दिनांक 29-06-2021 को सोशल मीडिया पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को वीडियो की पहचान कर सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। वायरल वीडियो कोतवाली क्षेत्र के आजाद चौक का होने की जानकारी हुई, जिसके क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करते देख रहे युवकों की पहचान करारकर चिन्हित किया गया। हर्ष फायरिंग के अभियुक्तों पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.06.2021 को थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त महफूज उर्फ फूजा को वीडियो में दिख रहे अवैध हथियार के साथ पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही वीडियो में दिख रहे अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

जिसके क्रम में दिनांक 04.07.2021 को थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो में लिप्त 01 और अभियुक्त मुकीम पुत्र शकील को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- मुकीम पुत्र शकील निवासी मोहल्ला आजाद चौक थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1- अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री सत्यनारायण दहिया थाना कोतवाली जनपद शामली।

2- का0 ज्योति प्रकाश थाना कोतवाली जनपद शामली।



थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थानाभवन का हिस्ट्रीशीटर पशु तस्करी में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद:-

आज दिनांक 05.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध पशु तस्करी/कटान में वांछित/वारण्टी/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थाना थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर थानाभवन का हिस्ट्रीशीटर व अवैध पशु कटान/तस्करी में वांछित 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अमजद पुत्र अजमल निवासी मौ0 नीलग्रान चौक कस्बा जलालाबाद थाना भवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 223/13 धारा 380,411 भादवि थाना भवन जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 458/17 धारा 380,411 भादवि थाना भवन जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 52/18 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना भवन जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 234/19 धारा धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना भवन जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 226/20 धारा 454,380,411 भादवि थाना भवन जनपद शामली।
- 6.मु0अ0सं0 153/21 धारा 379,411 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भवन जनपद शामली।
- 7.मु0अ0सं0 155/21 धारा 3/5(क)/8 सीएस एक्ट थाना भवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2-है0का0 शहजाद अली थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3-है0का0 योगेश थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4-है0का0 आशीष थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना कैराना

गिरफ्तारी व अन्य कानूनी कार्यवाही के निरंतर दबाव में थाना कैराना पुलिस के समक्ष गैंगस्टर एक्ट में वांछित 05 गैंगस्टर ने किया आत्मसमर्पण:-

आज दिनांक 05.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामिल श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना क्षेत्र के 05 गैंगस्टर द्वारा गिरफ्तारी के बढ़ते दबाव के चलते थाना कैराना पर आत्मसमर्पण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कैराना पर बलवा, हत्या का प्रयास एवं चोरी आदि के पूर्व में अभियोग पंजीकृत है, जिन पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.अफरून पुत्र लियाकत निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिल।
- 2.कय्यूम पुत्र नजीर हसन उर्फ नसीम निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिल।
- 3.राशिद उर्फ भूरा पुत्र रियासत निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिल।
- 4.सलीम पुत्र सईद निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिल।
- 5.हारून उर्फ गुड्डू पुत्र वशीद निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामिल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अफसरून:-

- 1.मु0अ0स0-606/17 धारा 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।
- 2.मु0अ0स0 1151/17 धारा 363/366 भादवि थाना कैराना जनपद शामिल।
- 3.मु0अ0सं0 66/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कय्यूम:-

- 1.मु0अ0स0 260/2016 धारा 223/224 भादवि थाना कैराना जनपद शामिल।
- 2.मु0अ0सं035/18 धारा 420/379/427/504/506/406/4527/380/352/323/120बी भादवि थाना कैराना जनपद शामिल।
- 3.मु0अ0सं0 66/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राशिद उर्फ भूरा:-

- 1.म0अस0 606/17 धारा 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।
- 2.मु0अ0स0 450/20 -147/148/323/332/353/307/224/225 भादवि थाना कैराना जनपद शामिल।
- 3.मु0अ0सं0 66/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सालिम:-

- 1.मु0अस0 606/17 धारा 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।
- 2.मु0अ0स0 607/17 धारा 147/148/149/323/504/506/452/307/427 भादवि थाना कैराना जनपद शामिल।
- 3.मु0अ0सं0 66/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हारून उर्फ गुड्डू:-

- 1.मु0अ0स0-606/17 धारा- 147/148/149/307/336/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।
- 2.मु0अ0सं0 66/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब, 10 ली0 अपमिश्रित शराब बरामद-

आज दिनांक 05.07.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त शाहरुख पुत्र ईनाम निवासी मो0 नई बस्ती रामड़ा रोड़ कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली, सोनू कुमार पुत्र चमन लाल निवासी मो0 आलकला थाना कैराना जनपद शामली को 10 लीटर कच्ची व 10 लीटर अपमिश्रित शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

